रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II— खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 21, 2008/वैशाख 1, 1930
No. 209] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 21, 2008/VAISAKHA 1, 1930

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2008

सा.का.नि. 292(अ).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (समूह ग) नियमावली, 2002 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (समूह ग) (संशोधन) नियमावली, 2008 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (समूह ग) नियमावली, 2002 में,—

(i) अनुसूची II के भाग II में पैराग्राफ 5 के स्थान पर निम्नलिखित होगा अर्थात् :—

"**शैक्षिक अहर्ता :**

सेवा के सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड IV के ग्रेड में सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार को भारत में केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम,1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किसी संस्थान अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से

एक मुख्य विषय के रूप में सांख्यिकी के साथ स्नातक की डिग्री (विषय सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकी की कोई भी शाखा, अनुप्रयुक्त अथवा अन्यथा) अथवा

एक मुख्य विषय के रूप में गणित (जिसमें एक वर्ष अथवा दो वर्ष अथवा तीनों वर्षों में, जैसा भी मामला हो, सांख्यिकी एक पेपर के रूप में रहा हो) के साथ स्नातक डिग्री (विषय सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकी की कोई भी शाखा, अनुप्रयुक्त अथवा अन्यथा) अथवा

एक मुख्य विषय के रूप में अर्थशास्त्र (जिसमें एक वर्ष अथवा दो वर्ष अथवा तीनों वर्षों में, जैसा भी मामला हो, सांख्यिकी एक पेपर के रूप में रहा हो) के साथ स्नातक डिग्री (विषय सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकी की कोई भी शाखा, अनुप्रयुक्त अथवा अन्यथा) अथवा

एक मुख्य विषय के रूप में वाणिज्य (जिसमें एक वर्ष अथवा दो वर्ष अथवा तीनों वर्षों में, जैसा भी मामला हो, सांख्यिकी एक पेपर के रूप में रहा हो) के साथ स्नातक डिग्री (विषय सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकी की कोई भी शाखा, अनुप्रयुक्त अथवा अन्यथा)

टिप्पणी :—यदि उम्मीदवार अन्यथा सुयोग्य हों तो आयोग स्वविवेक से शैक्षिक अहर्ता में छूट दे सकता है।"

(ii) कॉलम 8 के अंतर्गत सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड IV के पद के लिए अनुसूची-III में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"एक मुख्य विषय के रूप में सांख्यिकी के साथ स्नातक की डिग्री (विषय सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकी की कोई भी शाखा, अनुप्रयुक्त अथवा अन्यथा) अथवा

एक मुख्य विषय के रूप में गणित (जिसमें एक वर्ष अथवा दो वर्ष अथवा तीनों वर्षों में, जैसा भी मामला हो, सांख्यिकी एक पेपर के रूप में रहा हो) के साथ स्नातक